हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2013 से 03/2014

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–II जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनाँक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक श्री सुरिन्दर वशिष्ठ, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दिनाँक 31.03.2014 को स्टॉफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4 (क)	0.67
2	दिनाँक 31.03.2014 को विविध अग्रिम लेखा शीर्षक के अन्तर्गत समायोजन हेतु शेष	4 (ख)	15.33
3	Cash Settlement Account (CSSA) एवं Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेष	6	7.57
4	संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में डेबिट रूप में पाया जाना	8	3.77

5	संविदाकार के 10CC Claim के बिल से विभिन्न मदों की कटौती न किए जाने के परिणामस्वरूप संविदाकार को अनुचित भुगतान	11	9.19
6	अनुबन्ध की मद संख्या 4 का अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को अनियमित भुगतान	12 (2)	3.25
7	कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार रॉयल्टी की वसूली न किया जाने बारे	13 (1) 14 (2)	0.17 व 0.39
8	संविदाकार के बिल से टौर स्टील की कम वसूली करके अनुचित लाभ दिये जाने बारे	15 (1)	1.64
9	अनुबन्ध की अतिरिक्त मद E-1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of Soil के सम्बन्ध में संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारे	15 (2)	0.35
10	संविदाकार के 10cc Claim के बिल से विभिन्न मदों की कटौती न करके संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारे	16	0.57
11	संविदाकार के बिल से टौर स्टील की कम वसूली करके अनुचित लाभ दिये जाने बारे	17 (1)	20.71
12	संविदाकार के भुगतान बिलों से 2.5**%** की दर से Rebate की कटौती न किए जाने के कारण अनुचित लाभ दिये जाने बारे	17 (2)	3.88
13	अनुबन्ध की मद संख्या 1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of Soil" के सम्बन्ध में संविदाकार को अनुचित भुगतान	17 (3)	1.98
14	अनुबन्ध की मद संख्या 1 "कटिंग इन अर्थ वर्क" के कार्य में से पत्थरों की प्राप्ति शून्य दर्शा कर निर्माण मण्डल को वित्तीय हानि	17 (4)	1.82

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 04/88 से 03/13 तक मण्डल से सम्बन्धित 150 पैरे शेष हैं जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4/96 से 3/97	1
2	04/2003 से 03/2004	4
3	04/2004 से 03/2005	3
4	04/2005 से 03/2006	18
5	04/2006 से 03/2007	14
6	04/2007 से 03/2008	12
7	04/2008 से 3/2009	13
8	04/2009 से 3/2010	8
9	04/2010 से 03/2011	4
10	04/2011 से 03/2012	4
	04/2012 से 03/2012	24
11	04/88 से 03/89	2
12	04/89 से 03/90	1
13	04/90 से 03/91	2
14	04/91 से 03/92	1
15	04/92 से 03/93	1
16	04/93 से 03/94	2
17	04/94 से 03/95	4
18	04/95 से 03/95	11
19	04/96 से 03/97	3
20	04/97 से 03/98	6
21	04/98 से 03/99	6
22	04/99 से 15.1.01	6
	योग	**150**

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–II, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा सर्वश्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी (ले0प0) एवं रविन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 24.11.2014 से 20.01.2015 तक श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला–09 के पर्यावेक्षण में शिमला में किया गया। मास 02/2014 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण में निम्न अंकेक्षण आपत्तियों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाए गए।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की गलत, अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मास तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 04/2013 से 03/2014 का अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 (क) दिनाँक 31.3.2014 को स्टॉफ अग्रिम ₹66896/– समायोजन हेतु शेषः–

स्टॉफ अग्रिम लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 को ₹66896/– निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के पास समायोजन हेतु शेष अग्रिम राशि के समायोजन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्ष 2013–14 के अन्त में देय	टिप्पणी
श्री एस0पी0 कपलेश, AAE	820	राशि वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित
श्री सुरिन्दर सिंह, वाहन चालक	59900	₹14975 वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित, शेष देय राशि वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित
श्री सुनील कुमार, वाहन चालक	5000	₹5000/– वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित
श्री रजिन्दर पाल सिंह, वाहन चालक	694	₹694/– वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित
श्री पुष्प राज, क्लर्क	192	
श्री बाबू लाल	290	
कुल राशि	**₹66896**	

(ख) विविध अग्रिम लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹1946522/– Dr. और ₹413084/– Cr. की राशि दिनाँक 31.03.14 को समायोजन हेतु शेषः–

विविध अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल II के अन्तर्गत दिनाँक 31.03.14 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹1946522 Dr. और ₹413084 Cr. की राशि समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकत्तर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई है। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

फर्म का नाम	वर्ष 2013–14 के अन्त में देय	टिप्पणी
HP State Civil Supply Corporation Ltd. Shimla	413084.00 Cr.	As per Ledger P.No. 422
Indian Oil Corporation, Shimla	4743.00 Dr.	राशि वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित है
HP Agro Industries	527545.00 Dr.	As per Ledger P.No. 424
HP State Electronics	10740.00 Dr.	

Corporations Khalini, Shimla-02		
HP State Corporative Marketing and Consumer Fed. Ltd.	1000121.00Dr.	
Steel Authority of India	143556.00Dr.	
Rashitya Ispat Nigam Ltd.	2853.00Dr.	
Sh. Surender Singh, Driver	7821.00 Dr.	
Sh. Bhawani Dutt, Contractor	249143.00 Dr.	
Total	**1946522. Dr.**	**413084.00 Cr.**

5 (क) दिनाँक 31.03.2014 को ₹888780/– जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेषः–

हिमुडा निर्माण मण्डल–II के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2014 को ₹888780/– जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्र0सं0	**आवासीय बस्ती का नाम**	**जल प्रभार की दिनांक 31.03.2013 तक शेष राशि**
1	आवास बस्ती शोघी	199123
2	आवास बस्ती BCS Phase-II New Shimla	169398
3	आवास बस्ती Basal	11312
4	आवास बस्ती Kandaghat	507095
5	आवास बस्ती Solan Phase-II	1852
	कुल योग	**₹888780**

(ख) दिनाँक 31.03.2014 को ₹1697479/– रख रखाव प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेषः–

हिमुडा निर्माण मण्डल–II के अन्तर्गत आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनाँक 31.03.2014 को ₹1697479/– का रख रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्र0सं0	**आवासीय बस्ती का नाम**	**रख रखाव प्रभार की दिनाँक 31.03.2014 तक शेष राशि**
1	आवास बस्ती शोघी	473516
2	आवास बस्ती BCS Phase-II New Shimla	358136
3	आवास बस्ती Basal	198955
4	आवास बस्ती Kandaghat	186285
5	आवास बस्ती Solan Phase-I	21595
6	आवास बस्ती Solan Phase-II (Saproon)	458992
	कुल योग	**1697479**

6 **निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) एवं Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमशः ₹328858/– Cr. और ₹428377 Cr. की राशियाँ अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेषः–**

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Account और imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.03.2014 को इन लेखा शीर्षकों के डेबिट में क्रमशः ₹54583/– और ₹161358/– की राशि और क्रेडिट में क्रमशः ₹383441/– और ₹589735/– की राशि शेष थी। यह राशियाँ हिमुडा के अन्य निर्माण मण्डलों के साथ समायोजन हेतु दिनाँक 31.03.2014 तक शेष थी। जाँच में

यह भी पाया गया कि कई निर्माण मण्डलों के सन्दर्भ में यह राशि वर्ष 2012–13 से समायोजन के लिए लम्बित थी। इस बारे में वर्षवार विवरण निम्न दिया गया है। हिमुडा निर्माण मण्डल–II द्वारा इन लेखा शीर्षकों के डेबिट में क्रमशः ₹54583/– और ₹161358/– की राशि और क्रेडिट में क्रमशः ₹383441/– और ₹589735/– की राशि का दिनाँक 31.03.14 तक समायोजन न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह ममाला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है व सुझाव दिया जाता है कि Cash Settlemetn Suspense Account (CSSA) और Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र समायोजित किया जाए।

Cash Settlemetn Suspense A/C

	Debit Balance		**Credit Balance**	
निर्माण मण्डल का नाम	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**
HIMUDA Divn Parwanoo		36893		91928
HIMUDA Division No.-I	369962	17690	463024	291513
Total	**369962**	**54583**	**463024**	**383441**

Imprest A/C under CSSA

HIMUDA Parwanoo Division	112394	0	123332	92594
HIMUDA Elect. Division	0	0	0	497141
HIMUDA Division No.-I	463024	161358	74225	
Total	**575418**	**161358**	**197557**	**589735**

7 वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वेतन एवं भत्तों पर व्यय ₹29458852/– की तुलना में प्रशासनिक प्रभार की मात्र ₹20510038/– की राशि का प्राप्त होनाः–

निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वर्ष के दौरान किए गए निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण मण्डल द्वारा प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्टॉफ के

वेतन एवं भत्तो ंपर व्यय का प्रतिशत 43.63**%** था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है यह प्रतिशत वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण मण्डल	**वर्ष 2012–13 के दौरान राशि (₹)**
निर्माण मण्डल–II द्वारा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय	153629864
निर्माण मण्डल–II द्वारा स्थापना पर किया गया व्यय	29458852
निर्माण मण्डल–II द्वारा प्राप्त किया गया प्रशासनिक प्रभार	20510038
वर्ष 2013–14 के दौरान निर्माण मण्डल–II द्वारा प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्थापना पर किया गया व्यय	43.63**%**

8 ₹376664/– संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में डेबिट रूप में पाया जानाः–

संविदाकारों की प्रतिभूति जमा खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.03.2014 को विभिन्न संविदाकारो ंके व्यक्तिगत खातों में ₹376664/– की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अन्तशेष डेबिट रूप में पाया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अन्तशेष का डेबिट होना यह दर्शाता है कि जितनी राशि संविदाकारों से धरोहर/प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया। संविदाकार को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए और ₹376664/– के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Name of Contractor	**Ledger Page no.**	**Opening Balance**	**Detail of Security Received during the year**				**Detail of refund of Security**			**Excess**
			Amount	**Date on which receipt has been made**	**Receipt Voucher P.No.**	**Total**	**Amount Refunded**	**Date of Refund**	**Payment Voucher No.**	
Sh. Dikshant Thakur	360	10311.00 Cr.	40609	28.01.14	CB 113	50920	143720	11.03.14	CB 62	92800

Sh. Anil Thakur	334	2358.00 Cr.	119101	09.04.13, 17.05.13, 24.05.13, 09.10.13, 22.11.13, 13.02.14	CB47, CB88, CB107, CB 51 CB 91, CB 41	121459	138188	28.05.13, 22.10.13 20.02.14, 26.02.14	CB 122, CB 83, CB 102, CB 103	16729
Sh. A.K. Bansal	369	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	66182	30.04.13	JI	66182
Sh. Naresh Tuli	378	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	85075	31.10.13	J10	85075
Sh. Vikas Jaswal	380	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	69495	05.11.13	CB 45	69495
Sh. Ranjeet Singh	381	Nil	8302	06.12.13, 06.12.13, 07.02.14	CB 39, CB 40, CB 28	8302	54685	31.03.14	CB 154	46383
Total Excess payment										**376664**

9 प्राप्ति आय को विलम्ब से मण्डल खाते में जमा करवाया जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान उप मण्डल सोलन की जल प्रभार और रख रखाव प्रभार के रूप में विभिन्न मकान/प्लाट मालिकों से प्राप्त आय की सम्बन्धित अभिलेखों से पड़ताल करने पर पाया गया कि प्राप्त आय को निर्माण मण्डल–II में विलम्ब से जमा करवाया जा रहा था जोकि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ प्राप्त राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। देरी से जमा करवाई गई राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। अतः मण्डल स्तर पर आय को देरी से जमा करवाए जाने के न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में उप मण्डल स्तर पर एकत्रित आय को समयवध मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

10 यात्रा भत्ता दावे के रूप में ₹5520/– का अनियमित भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या हिमुडा–5–439/2005 दिनाँक 16.02.05 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने बारे निर्देश दिये गये थे परन्तु सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था।

परन्तु निम्नलिखित मामलों में सहायक अभियन्ता द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के व्यक्तिगत वाहन का उपयोग किया गया, जिसके कारण यात्रा भत्ता दावे के रूप में ₹5520/– का अनियमित भुगतान किया गया। यद्यपि इस सम्बन्ध में अंकेक्षण द्वारा उपरोक्त पत्र के अनुदेशों के दृष्टिगत पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः किए गए अनियमित भुगतान का औचित्य उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	यात्रा करने वाले का नाम	वा0सं0	माह	यात्रा भत्ते दावे की कुल राशि	वाहन द्वारा तय दूरी जिसका भुगतान किया गया	भुगतान की गई दर प्रति कि0मी0	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	श्री भोपाल सिंह चौहान, ए0ई0	09 ऑफ 11/13	04/13	990	94	6	564	Solan to Maudiaghat & Back
			05/13	990	94	6	564	Solan to Maudiaghat & Back
			06/13	1656	94	6	564	Solan to Maudiaghat & Back
					60	6	360	Solan to Rahed & back
			08/13	2538	94	6	564	Dharoti to Solan & back
					60	6	360	Solan to Rahed & back
		25 ऑफ 04/14	02/14	2064	220	6	1320	Solan to Kala Amb & back
			12/13	1770	94	6	564	Dharoti to Solan

								& back
			10／13	1746	110	6	660	Solan to Kala Amb & Back
						Total	**₹5520**	

11 संविदाकार के 10CC Claim बिल से विभिन्न मदों की कटौती न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹918637／– का संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारेः–

निर्माण कार्य का नामः– C/O 15 Nos. Cat-I Flats, 30 Nos Cat-II Flats at Chhabrogti, Shimla (Group-IV)

संविदाकार का नामः– M/S Omprakash Surinder Mohan

अनुबन्ध संख्याः– 18 of 2007-08

10 CC Claim

अनुबन्ध की Clause 10 CC के अनुसार "If the price of material (not being materials supplied or services rendered at fixed prices by the Deptt. in accordance with Clasue-10 & 34 hereof) and/or wages of labour required for esecution of the work increases, the Contractor shall be compensated for such increase as per provisions and the amount of the contract shall accordingly be varied, subject to the condition that such compensation for escalation in prices & wages shall be available only for work done during the stipulated period of the contract including the justified period exdented under the provisions of Clause 5 of the contract without any action Clause-2 However for the work done during justified period extended as above, the compensation will be limited to prices/wages prevailing at the time of stipulated date of completion or as prevailing for period under consideration, which ever is less. No. Such compensation shall be payable for a work for which stipulated period of completion is 6 (six) months or less."

इस निर्माण कार्य को दिनाँक 06.07.2007 को संविदाकार को पत्र संख्या HBS (SD-II) A-271/2007-2138-45 दिनाँक 06.07.2007 से अवार्ड किया गया था और इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए संविदाकार को 18 महीने का समय दिया गया था इस पत्र

अनुसार यह निर्माण कार्य दिनाँक 20.02.2009 को पूर्ण किया जाना था। अभिलेख की पड़ताल से यह ज्ञात हुआ कि दिनाँक 31.03.2014 तक इस निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को 18वें चलित बिल तक भुगतान किया जा चुका था। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु दिनाँक 03/2014 तक कुल ₹77573691/– का भुगतान अनुबन्ध की Clause 10cc के अन्तर्गत संविदाकार को किया गया था। Clause 10cc के अन्तर्गत किए गए भुगतान का विवरण निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस समस्त भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार के Clause 10cc Claim के बिलों से आवश्यक कटौतियाँ नहीं की गई थी, इन कटौतियों को न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार के 10cc Claim से आवश्यक कटौतियाँ न करके संविदाकार को ₹918637/– का अनुचित लाभ दिया गया। अतः संविदाकार के 10cc Claim से ₹918637/– की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही वर्तमान में संविदाकार को देय भुगतान से ₹918637/– की वसूली करके जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Date of Payment	Gross Amount of 10cc Claim	Deductions due out of 10cc Claim				Total Deduction	Deductions made out of 10cc Claim			Total deduction	Amount of Deduction not made out of 10cc Claim
		Income Tax	**Sales tax**	**Labour Cess**	**Service Tax**		**Income Tax**	**Sales tax**	**Labour Cess**		
18.08.09	963293	22156	19266	0	0	41422	22156	19266	0	41422	0
28.02.14	16794076	335882	335882	167941	414814	1254519	335882	0	0	335882	918637
										Total	**918637**

12 **निर्माण कार्य का नामः–** P/F Sinage Board at H/C Chhabrogti, Shimla-09

संविदाकार का नामः–	Sh. Rattan Singh
अनुबन्ध संख्याः–	14 of 2013-14
चलित बिलः–	2nd Running Bill
Abstract of Cost MB	Page No. 89 से 94 of 635
Record MB	Page No. 70 से 74 of 835

वाउचर संख्या 93, दिनांक 22.02.14, ₹206285/–

(1) अनुबन्ध की Clause-2 संविदाकार पर न लगाने के कारण ₹51508/– की वित्तीय हानि बारेः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु आबंटन पत्र संख्या HBS (SD-II)A-387/2013-3007-14 Dt.20-09-2013 द्वारा संविदाकार के लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की गई थी, यह कार्य दिनाँक 05.10.2013 को शुरू किया गया और इस आधार पर यह निर्माण कार्य दिनाँक 04.10.2014 तक पूर्ण हो जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक अर्थात दिनाँक 31.12.2014 तक यह कार्य अभी निर्माणधीन अवस्था में ही था और दिनाँक 16.07.2014 तक तीसरे चलित बिल का भुगतान किया जा चुका था। इस निर्माण कार्य हेतु समय की बढ़ौतरी (Extension of time) हेतु किसी भी प्रकार की कोई अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त से प्राप्त नहीं की गई थी जैसा कि अनुबन्ध अभिलेखों से स्पष्ट है। नियमानुसार निर्माण कार्य को देरी से पूर्ण करने पर संविदाकार पर अनुबन्ध की Clause-2 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित थी। अनुबन्ध की Clause-2 के अनुसार कार्य को देरी से पूर्ण करने के लिए संविदाकार पर Tendered Amount का अधिकतम 10**%** की दर से दण्ड/Compensation का प्रावधान है। इस प्रकार इस निर्माण कार्य में देरी करने पर संविदाकार पर ₹51508/– की राशि के दण्ड का प्रावधान किया जाना अपेक्षित था। परन्तु संविदाकार पर देरी से निर्माण कार्य को पूर्ण करने पर अनुबन्ध की Clause-2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के फलस्वरूप हिमुडा को ₹51508/– (₹515079.20X10**%**=₹51508) की वित्तीय हानि हुई। अतः निर्माण कार्य में देरी करने पर संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध की Clause-2 अनुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा संविदाकार के विरूद्ध अनुबन्ध की Clause-2 के अन्तर्गत दण्ड/Compensation वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(2) अनुबन्ध की मद संख्या–4 का अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप ₹324613/– का संविदाकार को अनियमित भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु आंबटन पत्र संख्या HBS (SD-II) A-387/2013-3007-14 Dt. 20.09.2013 के अनुसार "No deviation is permissible at site without the prior written approval on the Compertent Authority." इस निर्माण कार्य से

सम्बन्धित विभिन्न चलित बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध में मद संख्या 4 i.e. Steel work welded in built up section. हेतु कुल प्रमात्रा 14.86 qtl निर्धारित की गई थी और इस मद हेतु संविदाकार को तीसरे चलित बिल तक 53.97 qtl (MB P.No. 96 of MB No. 635) का भुगतान किया जा चुका था जोकि अनुबन्ध में निर्धारित प्रमात्रा का 263**%** था। इसके अतिरिक्त उक्त मद की अधिक प्रमात्रा में निष्पादन हेतु कोई अनुमति/स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप इस मद पर तीसरे चलित बिल तक ₹324613/– (53.97 Qtl-14.86Qtl=39.11Qtlx8300 per qtl=₹324613) का अधिक व्यय किया जा चुका था, जोकि अनुबन्ध की मान्य शर्तों का सीधा उल्लंघन था। अतः अनुबन्ध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा का भुगतान संविदाकार को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही मद संख्या 4 पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा अनियमित रूप से किये गये व्यय की वसूली सुनिश्चित की जाए।

13	निर्माण कार्य का नामः–	C/O 3 Nos. Shops & 3 Nos Hall i/c dev of site at BCS New Shimla
	संविदाकार का नामः–	Sh. Vikas Chauhan
	अनुबन्ध संख्याः–	11 of 2011–12
	चलित बिलः–	6th & Final Bill
	Abstract of Cost MB	Page No. 70 से 95 of MB No. 807
	Record MB	806

वाऊचर संख्या 78 दिनाँक 21.02.2014 ₹35041/–

(1) कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹17172/– की राशि की रॉयल्टी की वसूली न किया जाने बारेः–

Principal Secretary, Industry Deptt, to the Govt, of H.P. के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6-5/2006, दिनाँक 16.01.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित

दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। उपरोक्त निर्माण कार्य के छठे एवं अन्तिम बिल के सम्बन्ध में अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण मदो ंकी पड़ताल करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध की मद संख्या 14 "Random Rubble Masnory" और मद संख्या 16 "Stone Fiiling behind the Retaining Walls" हेतु क्रमशः 126.68 घन मीटर और 10.46 घन मीटर का भुगतान किया गया था। इन दोनों निर्माण मदो के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा निम्नविवरण अनुसार 185.05 घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया था। निर्माण स्थल पर खुदाई से निकले पत्थरों के सम्बन्ध में संविदाकार के बिल से केवल 11.64 घन मीटर की रिकवरी की गई थी। इस प्रकार दोनों मदो ंमें प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्ब्न्ध में उपरोक्त वर्णित पत्र अनुसार संविदाकार द्वारा या तो फार्म M प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या नियमानुसार मण्डल स्तर पर उसके बिल से रॉयल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार संविदाकार द्वारा न तो फार्म एम प्रस्तुत किया गया था और न ही उसके कार्य बिल से रॉयल्टी की कटौती की गई थी। जिसके फलस्वरूप ₹17172/– की राशि की रॉयल्टी के रूप में कटौती न करके हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुँचाई गई थी। अतः संविदाकार से प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में फार्म एम न लिए जाने बारे और फार्म एम प्रस्तुत न करने के स्थिति में संविदाकार के कार्य बिल से प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की कटौती न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा रॉयल्टी की उचित स्त्रोत से वसूली करके हिमाचल प्रदेश सरकार को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**अनुबन्धित मद संख्या**	**मद का विवरण**	**मद की निष्पादित कार्य मात्रा**	**मद के निष्पादन में उपयोग की गई पत्थर की मात्रा (घन मी0)**	**उपयोग किए गए पत्थर की मात्रा (टनों में)**	**उपयोग किए गए पत्थरों पर देय रॉयल्टी प्रति टन**	**देय रॉयल्टी राशि**
1	14	RR Masonary cm 1:6:12 with hard Stone in foundation and plinth retaining wall/breast wall i.c. all leads & lifts	126.68 m3	173.55m3 (126.68m3x1.37)	402.64m3 (173.55m3 x2.32)	40	₹16105

2	16	Stone filling behind Retaining walls	10.46m3	11.50 m3 (10.46m3x1.10)	26.68 m3 (11.50 m3x2.32)	40	₹1067
		Total					**₹17172**

(2) निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी खरीद करने से सम्बन्धित बिल एवं अन्य प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत न किया जानाः–

अनुबन्ध की General Specification & Conditions की 13 संख्या पर वर्णित शर्त के अनुसार "The Contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof releasing the payment of the wood work."

उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए अनुबन्ध की मद संख्या 17 "Providing wood work in frames of doors, windows etc. हेतु 2.753 घन मीटर एवं मद संख्या 19 "P/F 40mm thick paneled door shutter made of 2nd class Deodar wood." हेतु 8.44 वर्ग मीटर प्रयोग में लाई गई लकड़ी के लिए लकड़ी की खरीद के सम्ब्न्ध में संविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई बिल इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अतः अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी के लिए लकड़ी खरीद का बिल इत्यादि प्रस्तुत न किए जाने से पूर्व लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख संविदाकार से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

14 निर्माण कार्य का नामः– Partially Self Financing Scheme at Chhabrogti, Kasumpati, Shimla-09

संविदाकार का नामः– M/S Om Parkash Surinder Mohan

अनुबन्ध संख्याः– 03 आफ 2013–2014

चलित बिलः– 3rd Running bill

Abstract of Cost MB Page No. 25 ls 45 of MB No. 892

Record MB 890

वाउचर संख्या 43 दिनाँक 13.02.2014 ₹1345370/–

(1) गलत गणना के कारण अनुबन्ध की मद संख्या 9 P/L CC M-20 हेतु संविदाकार को ₹7310.20 का अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की मद संख्या 9 P/L CC M-20 के सन्दर्भ में अनुबन्ध की मद संख्या 5 "Providing Foam work (a)Foundation Footings" की तुलना करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 9 "P/L CCM-20" हेतु गलत गणना करने के कारण संविदाकार को ₹7310.20 का अधिक भुगतान किया गया था। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है। अतः इस गलत भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

Record MB/P. No.		**Qty of item No. 5 i.e. Providing foam work**	**Qty of item No. 9 i.e. P/L CC M-20 which was paid to the Contractor**	**Qty of item No. 9 i.e. P/L CC M-20 which should be paid to the contractor, as per Audit**	**Excess Qty**	**Rate**	**Total Excess Payment (₹)**
890 P.No. 2 & 3	(a) Foundation, Footings – Col A2, A3, A4, C2 & C3	4x2 (1.81+2.03)x0.20=12.29m2	5x1.96x2.18x0.20= 4.27m3	5x1.81x2.03x0.20 =3.67m3	0.60m3	5200 per m3	3120.00
890, P.No. 5 & 6	(b) Plinth Beam Horizontal Beam	Outer side 1x10.79x0.45=4.86m2 Inner Side 1x9.87x0.45=4.44m2	2x10.79x0.23x0.45 =2.23m3	2x9.87x0.23x0.45 =2.04m3	0.19m3	5740 per m3	1090.60
890 P.No. 7 & 9	(d) Beams, Cantilevers (i) Side & soffits of Beams Col, A2, A3, A4, C2 & C3, C4	Outer side 2x10.79x0.45=9.71m2 Inner Side 2x9.87x0.33=6.51m2 Bottom 2x9.87x0.23=4x54m2	2x10.70x0.23x0.45 =2.21m3	2.9.87x0.23x0.45 =2.04m3	0.17m3	5740 per m3	975.80
890	(d) Beams,	Outer side	2x10.70x0.23x0.45	2x9.87x0.23x0.45	0.17m3	5740	975.80

P.No. 19 & 20	Cantilevers (i) Side & soffits of Beams Col A2, A3, A4, C2 & C3, C4 (2nd Floor)	2x10.79x0.45=9.71m2 Inner Side 2x9.87x0.33=6.51m2 Bottom 2x9.87x0.23= 4.54m2	=2.21m3	=2.04m3		per m3	
890 P.No. 42	Tank Room tie Beam (Short Side)	Outer side 2x3.76x0.45=3.38m2 Inner Side 2x2.86x0.45=2.57m2 Bottom side 2x2.86x0.23=1x32m2	2x3.08x0.23x0.45= 0.64m3	2x2.86x0.23x0.45 =0.59m3	0.05m3	5740 per m3	287
890 P.No. 42	Tank Room Tie Beam (Short Side)	Outer side 2x3.76x0.45=3.38m2 Inner Side 2x2.86x0.45=2.57m2 Bottom side 2x2.86x0.23=1x32m2	2x4.08x0.23x0.45= 0.84m3	2x3.62x0.23x0.45 =0.74m3	0.10m3	5740	861
			Total Excess Payment				**₹7310.20**

(2) कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹39277.20 की रॉयल्टी वसूली न किया जानाः–

Principal Secretary, Industry Deptt, to the Govt. of H.P. के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। उपरोक्त निर्माण कार्य के तीसरे चलित बिल के सम्बन्ध में अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण मदों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य हेतु

अनुबन्ध की मद संख्या 16 "Random Rubble Masonry" और मद संख्या 21 "Stone Filling behind the Retaining Walls" हेतु क्रमशः 250.32 घन मीटर और 73.01 घन मीटर का भुगतान किया गया था। इन दानों निर्माण मदों के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा निम्न विवरण अनुसार 981.93 घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार दोनों मदों में प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित पत्र अनुसार संविदाकार द्वारा या तो फार्म एम प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या नियमानुसार मण्डल स्तर पर उसके बिल से रॉयल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार संविदाकार द्वारा न तो फार्म एम प्रस्तुत किया गया था और न ही उसके कार्य बिल से रॉयल्टी की कटौती की गई थी। जिसके फलस्वरूप ₹39277.20 रॉयल्टी के रूप में कटौती न करके हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि पहुँचाई गई थी। अतः संविदाकार द्वारा प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में फार्म एम न लिए जाने बारे और फार्म एम प्रस्तुत न करने के स्थिति में संविदाकार के कार्य बिल से प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की कटौती न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ वर्तमान में संविदाकार से रॉयल्टी की कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	अनुबन्धित मद संख्या	मद का विवरण	माप/ पुस्तिका पृ0सं0	मद की निष्पादित कार्य मात्रा	मद के निष्पादन में उपयोग की गई पत्थर की मात्रा (घन मी0)	उपयोग किए गए पत्थर की मात्रा (टनों में)	उपयोग किए गए पत्थरों पर देय रॉयल्टी प्रति टन	देय रॉयल्टी राशि
1	16	RR Masonary cm 1:6:12 with hard Stone in foundation and plinth retaining wall/breast wall i.c. all leads & lifts	892, P.No. 34	250.32 m3	342.94 m3 (250.32m3 x1.37)	795.62m3 (342.94m3x2.32)	40	31824.80
2	21	Stone filling behind Retaining walls	892, P.No. 34	73.01 m3	80.31m3 (73.01 m3x1.10)	186.31 m3 (80.31 m3x2.32)	40	7452.40
						Total		**₹39277.20**

(3) वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर0आर0 मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को ₹3685/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलित बिल तक अनुबन्ध की मद संख्या 18 P/F 100mm dia PVC pipe for weep holes in retaining wall की कार्य मात्रा 171.00 रंनिंग मीटर का भुगतान 80.00 प्रति रंनिग मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्या 892 पृष्ठ संख्या 34 पर किया गया था। अंकेक्षण में जाँच में पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 16 RR Masonary के भुगतान के समय वीप होल्स में प्रयोग 100एमएम पी0वी0सी0 पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी।

मान्य निर्माण मापदण्डों के अनुसार आर0आर0 मैसनरी के भुगतान के समय आर0आर0 मैसनरी की देय मात्रा में से वीप होल्य हेतु प्रयोग 10मी0मी0 पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी क्योंकि वीप होल्य की लगाने के स्थान पर आर0आर0 मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। इस प्रकार आर0आर0 मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से 100एमएम पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा 1.34 घन मीटर (22/7x0.05x0.05x171RMT) की कटौती न करके संविदाकार को ₹2750 प्रति घन मीटर की दर से ₹3685/– (1.34 घन मीटरx₹2750) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

(4) ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लाक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकार को ₹3497/– का अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की मद संख्या 33 P/F 40x3mm Falt Iron Hold Fast in CC Block 0.30mx0.10mx0.15m in CC 1:3:6 और मद संख्या 23 Brick Work using 2nd Class in Superstructure की पड़ताल करने पर पाया गया कि दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्टों को ईंट की दीवार में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक साईज 0.30mx0.10mx0.15m बनाने का प्रावधान था तथा होल्ड फास्टों को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में भुगतान

किए गए ब्रिक वर्क की मद की जाँच करने पर पाया गया कि होल्ड फास्ट को लगाने के लिए दीवारों में बनावाए गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से कम नहीं किया गया जबकि कार्य सपसीफिकेशन (ब्रिक वर्क) के अनुसार 0.10 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल की ओपंनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिक वर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक का कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया और होल्ड फास्ट के भुगतान में सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लॉक का भुगतान कर दिया गया। अतः होल्ड फास्ट में प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लॉक की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया। एक बार ब्रिक वर्क के भुगतान के समय व दूसरी बार होल्ड फास्ट के भुगतान के समय। इस प्रकार संविदाकार को ₹3497/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

No. Hold Fast Paid	**Qty of brick work which was paid twice to the Contractor in m3**	**Rate of Brick work per m3**	**Total Amount (₹)**
1344	0.30x0.15x0.10x134=0.603m3	5800	3497.40
		Total	**3497.40**

15 निर्माण कार्य का नामः– C/O 4 Nos Type II Quarter for police Department at Police Lines Solan

संविदाकार का नामः– Sh. Mohan Singh Chauhan

अनुबन्ध संख्याः– 13 आफ 2013–14

चलित बिलः– 1st Running Bill

Abstract of Cost MB Page No. 1 से 7 of MB No. 898

वाउचर संख्या 48, दिनांक 17.02.2014, ₹626162/–

(क) संविदाकार के बिल से ₹164007/– के टौर स्टील की कम वसूली करके अनुचित लाभ दिये जाने बारेः–

अनुबन्ध की Clause 42 (i) के अनुसार "The Contractor shall see that only the required quantities of materials are got issued."

MB No. 898 P.No. 7 के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल तक संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु 6.263 MT टौर स्टील जारी किया गया था। MB No. 897 P.No. 7 पर dia wise steel Consumption Statement के अनुसार प्रथम चलित बिल तक कुल Tor Steel 3-15Mt की खपत दर्शाई गई थी और Tor Steel Consumption Satement के अनुसार ही संविदाकार के बिल से 3.15 MT Tor Steel की 51150+3**%** की दर से कटौती की गई थी। जबकि संविदाकार के बिल से 6.263 MT Tor Steel की 51150+3**%** की दर से रिकवरी की जानी अपेक्षित थी क्योंकि संविदाकार को प्रथम चलित बिल तक 6.263 Mt Tor Steel जारी की गई थी परन्तु संविदाकार के बिल से केवल 3.15 Mt Tor Steel की 51150+3**%** की दर से रिकवरी करके संविदाकार को प्रथम चलित बिल तक 164006.84 (6.263Mt-3.15MT=3.113MTx51150+3%=164006.84) की राशि से अनुचित लाभ दिया गया। अतः 6.263MT Tro Steel के स्थान पर केवल 3.15Mt Tor Steel की रिकवरी संविदाकार से करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में अनुबन्ध की Clause 42 (i) के अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

(2) अनुबन्ध की अतिरिक्त मद E-1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of Soil" के सम्बन्ध में संविदाकार को ₹35142/– का अनुचित लाभ दिये जाने बारेः–

अनुबन्ध की अतिरिक्त मद संख्या E-1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of Soil" के सम्बन्ध में संविदाकार को प्रथम चलित बिल तक माप पुस्तिका संख्या 898 पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार 1064.90 घन मीटर मात्रा हेतु ₹145 प्रति घन मीटर (P.R.) (219.75 (F.R.) प्रति घन मीटर) कुल 154410.50 का भुगतान किया गया था। इस अतिरिक्त मद के सम्बन्ध में Analysis of Rate की जाँच करने पर पाया गया कि इस अतिरिक्त मद की भुगतान दर अनुबन्ध की Clause 12 (ii) के अनुसार निर्धारित की गई थी।

साथ ही Clause 12 (ii) के अनुसार निर्धारित दर में "Disposal of earth @ 200 per tipper of 400cum capacity as per MC Rate" शीर्षक के अन्तर्गत ₹50/– की राशि प्रति घन मीटर की दर से जमा की गई थी (विवरण निम्न दिया गया है) इस शीर्षक के अनुसार Cutting in earth work से जो earth/मिट्टी/मलवा इत्यादि निकलेगा उसको MC की Disposal Site पर गिराने के लिए संविदाकार को ₹50 प्रति घन मीटर की दर से अतिरिक्त मद की निर्धारित दर से अधिक दिया गया था। प्रथम चलित बिल के साथ संलग्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस अतिरिक्त मद को निष्पादित करने से प्राप्त earth/मिट्टी/मलवा इत्यादि को MC की Disposal Site पर गिराने का कोई प्रमाण/MC को भुगतान की गई राशि की रसीद इत्यादि कोई भी अभिलेख प्रथम चलित बिल के साथ संलग्न नहीं था जिससे यह प्रमाण मिलता हो कि प्राप्त earth/मिट्टी/मलवा इत्यादि को MC की Disposal Site पर ही गिराया गया था। इस प्रकार ₹50 प्रति घन मीटर की राशि को अतिरिक्त मद की निर्धारित दर से जमा करके संविदाकार को ₹35141.70 (145.00–112.00 (145 (PR)/219.75 (FR) x (219.75–50.00)=33.00X1064.90=₹35141.70 की राशि का अनुचित लाभ दिया गया। अतः संविदाकार को अनुबन्ध की Clause 12 (ii) के अनुसार निर्धारित दर में ₹50 प्रति घन मी0 की राशि को जमा करने को न्यायोचित ठहराया जाए, साथ यदि प्राप्त earth/मिट्टी/मलवा इत्यादि को MC की Disposal site पर गिराया गया था या गिराया जा रहा है तो इस सम्बन्ध में MC को भुगतान किए गए शुल्क की मूल रसीद इत्यादि चलित बिलों के साथ संलग्न की जानी सुनिश्चित की जाए। अन्यथा ₹50/– प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को जो अतिरिक्त भुगतान किया जा चुका है उसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Cutting in earth work का Rate of Analysis का विवरण

S.No.	Description of item	Qty.	Unit	DNIT Rate	Total Amount	Agreement Rate	Total Amount
1	Excavation in foundation	527.77	Cum	167.55	88428	225	118748.25
2	Excavation in earth work	44.87	Cum	121.25	5440	225	10095.75
3	Exacavation in drain	72.69	Cum	134.40	9770	225	16355.25

Total	**103638**	**145199.25**
Difference	**40.11% Above**	
Cutting in earth work Rate as per HPSR 2009		**121.16 per Cum**
Add 40.11% on 121.16 i.e. 48.59		48.59
Total		**169.74**
Disposal of earth work @ 200/- per tipper of 4.0 Cum capacity as per MC Rate		500
Cost per Cum		219.75

16 निर्माण कार्य का नामः— C/O State Data Centre Mehali, Shimla

संविदाकार का नामः— M/S AG Construction

अनुबन्ध संख्याः— 10 of 2009-10 10CC Claim

वाऊचर संख्या 45 दिनाँक 13.02.2014 राशि ₹635073

संविदाकार के 10सीसी Claim के बिल से ₹57144/— की विभिन्न मदो की कटौती न करके संविदाकार को अनुचित लाभ दिये जाने बारेः—

अनुबन्ध की Clause 10cc के अनुसार "If the price of material (not being materials supplied or services rendered at fixed prices by the Deptt. in Accordance with Clause-10 & 34 hereof) and/or wages of labour required for execution of the increases, the Contractor shall be compensated for such increase as per provisions and the amount of the contract shall accordingly by carried, subject to the condition that such compensation for escalation in prices & wages shall be available only for work done during the stipulated period of the contract including the justified period exdented under the provisions of Clause-5 of the contract withour any action under Clause-2 However for the work done during Justified period extended as above, the compensation will be limited to prices/wages prevailing at the time of stipulated date of completion or as prevailing for period under consioderation, which ever is less, No such compensation shall be payable for a work for which stipulated period of completion os 18 (Eighteen) months or less

इस निर्माण कार्य को दिनाँक 05.10.2009 को संविदाकार को पत्र संख्या HBS (SD-II) A-320/2009-4399-4405 दिनाँक 05.10.09 से अवार्ड किया गया था और इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए संविदाकार को दो वर्ष का समय दिया गया था। इस पत्र अनुसार यह निर्माण कार्य दिनाँक 19.10.11 को पूर्ण किया जाना था। अभिलेख की पड़ताल से यह ज्ञात हुआ कि दिनाँक 31.03.2014 तक इस निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को 22 चलित बिल तक भुगतान किया जा चुका था। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु दिनाँक 03/2014 तक कुल ₹4444317/– का भुगतान अनुबन्ध की Clause 10cc के अन्तर्गत संविदाकार को किया गया था। Clause 10cc के अन्तर्गत किए गए भुगतान का विवरण निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस समस्त भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार के Clause 10CC Claim के बिलों से आवश्यक कटौतियाँ नहीं की गई थी, इन कटौतियों को न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार के 10cc Claim से आवश्यक कटौतियाँ न करके संविदाकार को ₹57144/– का अनुचित लाभ दिया गया। अतः संविदाकार के 10cc Claim से ₹57144/– की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही वर्तमान में संविदाकार को देय भुगतान से ₹57144/– की वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Date of Payment	**Gross amount of 10cc Claim**	**Deductions due out of 10cc Claim**			**Total Deuction**	**Deductions made out of 10cc Claim**			**Total Deduction**	**Amount of Deduction not made out of 10cc Claim**
		Income Tax	**Sales Tax**	**Labour Cess**		**Income Tax**	**Sales Tax**	**Labour Cess**		
15.02.11	258093	2581	5162	2581	10324	2581	5162	0	7743	2581
09.11.11	835345	8353	16707	8353	33413	8353	16707	0	25060	8353
10.05.13	2715806	27158	54316	27158	108632	27158	54316	0	81474	27158
13.02.14	635073	6351	12701	6351	25403	6351	0	0	6351	19052
Total										**₹57144**

17	**निर्माण कार्य का नामः–**	C/O 32 Nos Cat 1 Flats (Block No. 22 to 25) with garages/Parking Floor i/c int. Ws & SI and Dev. of Site at Basal
	संविदाकार का नाम	M/S Unipro
	अनुबन्ध संख्या	09 ऑफ 2013–14
	चलित बिल	1st से 4th Running Bill
	Abstract of Cost MB	Page no. 52 से 75 of MB No. 820

वाउचर संख्या 53 दिनाँक 17.02.2014 राशि ₹6023036/–

उपरोक्त निर्माण कार्य के दिनाँक 31.03.2014 तक भुगतान किए गए सभी चलित बिलों की अंकेक्षण में विस्तृत जाँच की गई। इस पड़ताल में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(1) संविदाकार के बिल से ₹2070975/– के टौर स्टील की कम वसूली करके अनुचित लाभ दिये जाने बारेः–

अनुबन्ध की Clause 42 (i) के अनुसार "The Contractor shall see that only the required quantities of materials are got issued."

MB No. 820 P.No. 74 के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिल तक संविदाकार को निर्माण कार्य हेतु 138.309 MT टौर स्टील जारी किया गया था। MB No. 820 PNo. 74 पर dia wise steel consumption Statement के अनुसार चतुर्थ चलित बिल तक कुल Tor Steel 99MT की खपत दर्शाई गई थी और Tor Steel Consumption Statement के अनुसार ही संविदाकार के बिल से 99MT Tor Steel की 51150+3**%** की दर से कटौती की गई थी जबकि संविदाकार के बिल से 138.309 MT Tor Steel की 51150+3**%** की दर से रिकवरी की जानी अपेक्षित थी क्योंकि संविदाकार को चतुर्थ चलित बिल तक 138.309 MT Tor Steel जारी की गई थी परन्तु संविदाकार के बिल से केवल 99 Mt Tor Steel की ₹51150+3**%** की दर से रिकवरी करके संविदाकार को चतुर्थ चलित बिल तक ₹2070975/– (138.309MT-99.00MT=39.309MTx51150+3%=₹2070975.01) की राशि का अनुचित लाभ दिया गया। अतः 138.309MT Tor Steel के स्थान पर केवल 99mt Tor steel की रिकवरी संविदाकार के

बिल से करने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में अनुबन्ध की Clause 42 (i) के अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

(2) संविदाकार के भुगतान बिलों से 2.5% की दर से Rebate की कटौती न किए जाने के कारण ₹388469/– का अनुचित लाभ दिये जाने बारेः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की शर्त के अनुसार संविदाकार द्वारा देय राशि पर 2.5**%** की दर से Rebate देने का प्रावधान किया गया था। संविदाकार को भुगतान किए गए प्रथम चलित बिल से तृतीय चलित बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि उसको देय राशि में से 2.5**%** की Rebate की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार संविदाकार को प्रथम चलित बिल से तृतीय चलित बिल तक ₹388469/– का अधिक भुगतान करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः अनुबन्ध की शर्त अनुसार संविदाकार के प्रथम चलित बिल से तृतीय चलित बिल से 2.5**%** की दर से Rebate की कटौती न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Running Bill No.	Date of payment	Gross amount of bill	Amount of Rebate @ 2.5%
1st	10.10.13	5686956	142173.90
2nd	25.11.13	5955923	148898.07
3rd	22.01.14	3895890	97397.25
		Total	**₹388469.22**

(3) अनुबन्ध की मद संख्या 1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of soil" के सम्बन्ध में संविदाकार को ₹197918/– का अनुचित लाभ दिये जाने बारेः–

अनुबन्ध की मद संख्या 1 "Cutting in earth work by mechanical means in all depths and in all kinds of soil" के सम्बन्ध में संविदाकार को प्रथम चलित बिल तक माप पुस्तिका संख्या 820 पृष्ठ संख्या 53 के अनुसार 4424.73 घन मीटर मात्रा हेतु ₹250/– प्रति घन मीटर (P.R.) (262 (F.R) प्रति घन मीटर) कुल ₹1106182.50 का भुगतान किया गया था। इस मद के सम्बन्ध में Analysis of Rate की जाँच करने पर पाया गया कि निर्धारित दर में

"Disposal of earth @ 500 per tipper of 4.00 cum capacity at Radha Swami Ground Aanji, Solan." शीर्षक के अन्तर्गत ₹46.88 की राशि प्रति घन मीटर की दर से जमा की गई थी (विवरण निम्न दिया गया है) इस शीर्षक के अनुसार Cutting in earth work से जो earth मिट्टी/मलवा इत्यादि निकलेगा उसको Radha Sqami Ground Aanji, Solan की Disposal site पर गिराने के लिए संविदाकार को ₹46.88 प्रति घन मीटर की दर से निर्धारित किया गया था। प्रथम से चतुर्थ चलित बिल के साथ संलग्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस मद को निष्पादित करने से प्राप्त earth/मिट्टी/मलवा इत्यादि को Radha Swami Ground Aanji, Solan की Disposal Site पर गिराने का कोई प्रमाण/MC को भुगतान की गई राशि की रसीद इत्यादि कोई भी अभिलेख प्रथम से चतुर्थ चलित बिल के साथ संलग्न नहीं था, जिससे यह प्रमाण मिलता हो कि प्राप्त earth/मिट्टी/मलवा इत्यादि को Radhs Swami Ground Aanji, Solan की Disposal Site पर ही गिराया गया था। इस प्रकार ₹46.88 प्रति घन मीटर की राशि को मद की निर्धारित दर में जमा करके संविदाकार को ₹197918/– (250–205.27(250/262x262-46.88)=44.73x4424.73=197918.17 or say 197918.00) का अनुचित लाभ दिया गया। अतः संविदाकार को निर्धारित दर में ₹46.88 प्रति घन मीटर की राशि को जमा करने को न्यायोचित ठहराया जाए, साथ ही यदि प्राप्त earth/मिट्टी/मलवा इत्यादि को Radha Swami Ground Aanji, Solan की Disposal Site पर गिराया गया था या गिराया जा रहा है तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म को भुगतान किए गए शुल्क की मूल रसीद इत्यादि चलित बिलों के साथ संलग्न की जानी सुनिश्चित की जाए। अन्यथा ₹46.88 प्रति घन मीटर की दर से संविदाकार को जो अतिरिक्त भुगतान किया जा चुका है उसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Cutting in earth work का Rate of Analysis का विवरण

Detail of cost for 1.00 Cum

Rate as per HPSR 209	114.40
Cost of Haulage	69.60
Loading of earth	19.13
Unloading of earth	6.00
Total	209.13
Disposal of earth @ 500.00 per tipper of 4.00 cum capacity at Radha Swami Ground Aanji, Solan	46.88

Total	256.00
Add 1% Cess	2.56
Cost for 1 cum	258.56
Add 1% Cess Charges	2.59
Add: 10.30% Service Tax on 33%of 258.56	8.79
Total	269.94 or say 269.90
Allotted Rate per Cum	262

(4)अनुबन्ध की मद संख्या 1 "कटिंग इन अर्थ वर्क" के कार्य में से पत्थरों की प्राप्ति शून्य दर्शाकर निर्माण मण्डल को ₹181683/– की वित्तीय हानिः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 1 "कटिंग इन अर्थत वर्क" कार्य मद को किए जाने पर कोई भी पत्थर की प्राप्ति कार्य स्थल से हुई नहीं दर्शाई गई है। पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई कार्य किए जाने के उपरान्त कोई भी पत्थरों की मात्रा प्राप्त न होना अपने आप में न्यायोचित एवं तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। इस निर्माण कार्य में चतुर्थ चलित बिल तक कुल 4424.73 घन मीटर खुदाई के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान किया जा चुका था (MB No. 820 पृष्ठ संख्या 53) यदि डी0एन0आई0टी0 में डाली गई कार्य मद को ध्यान में रखते हुये निष्पादित खुदाई के कार्य "कटिंग इन अर्थ वर्क" में न्यूनतम 10% मात्रा पत्थरों के रूप में प्राप्त होती तो 10% की दर से 442.47 घन मीटर पत्थर की वसूली संविदाकार के निर्माण बिलों से की जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं की गई। इस प्रकार न्यूनतम 10% की दर से 442.47 घन मीटर पत्थर की वसूली न करके संविदाकार को अनुचित लाभ दिया गया। अतः खुदाई के कार्य "कटिंग इन अर्थ वर्क" से न्यूनतम 10% की दर से 442.47 घन मीटर पत्थर की कुल वसूली ₹181683/– जिसका विवरण निम्न दिया गया है की वसूली को संविदाकार से न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹181683/– की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

"कटिंग इन अर्थ वर्क" से न्यूनतम 10% की दर से 442.47 घन मीटर पत्थर की कुल वसूली ₹181683 की राशि का विवरणः–

क्र0सं0	माप पुस्तिका सं0/पृ0सं0	चलित बिल सं0	कटिंग इन अर्थत वर्क की चलित बिल भुगतान की गई मात्रा (घन मी0)	न्यूनतम 10% की दर से पत्थर की मात्रा (घन मी0)	दर जिससे प्राप्त पत्थर की वसूली संविदाकार के निर्माण बिल से की जानपी चाहिए थी	कुल राशि जिससे प्राप्त पत्थर की वसूली संविदाकार के निर्माण बिल से की जानी चाहिए थी	टिप्पणी
1	820, P.No. 53	चतुर्थ चलित बिल	4424.73	442.47	410.37	181683.11	Rate of Recovery of stone derived=Ordinary quarried stone rate=350 per cum as per HPSR 2009+Overall contractor’s Premium @ 17.25%

यहाँ यह वर्णित करना भी उचित होगा कि अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि अन्य निर्माण सामग्री जैसे कि रेत, बजरी इत्यादि के खरीद के बिल और सम्बन्धित एम फार्म अभिलेख में उपलब्ध थे परन्तु निर्माण कार्य में प्रयोग में लाया गया पत्थर की खरीद से सम्बन्धित बिल और एम फार्म अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे जिससे यह प्रतीत होता है निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया पत्थर निर्माण कार्य स्थल पर ही निकला होगा। अतः यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है साथ ही भविष्य में इस निर्माण मण्डल द्वारा करवाए जा रहे अन्य निर्माण कार्यों में भी निर्माण की मद "कटिंग इन अर्थ वर्क" की कुल मात्रा का 10**%** से 20**%** निर्माण कार्य स्थल के अनुरूप पत्थरों की वसूली संविदाकार के बिल से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(5) कार्य स्थल पर लाये गए पत्थरों की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹139214/– रॉयल्टी की वसूली न किया जानाः–

Principal Secretary, Industry Deptt to the Gocvt. Of H.P. के पत्र संख्या खण्ड–II (एफ) 6–5/2006, दिनाँक 16.01.2012 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के खनन पर हिमाचल प्रदेश सरकार निर्धारित दरों अनुसार रॉयल्टी देय है। उपरोक्त निर्माण कार्य के चतुर्थ चलित बिल के सम्बन्ध में अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण मदों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध की मद संख्या 19 "Random Rubble Masonary" और मद संख्या 20 "Stone Filling behind the Retaining Walls" हेतु क्रमशः 878.77 घन मीटर घन मीटर और 269.31 घन मीटर का भुगतान किया गया था। इन दोनों निर्माण मदों के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा निम्न विवरण अनुसार 3480.35घन मीटर पत्थरों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार दोनों मदों में प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित पत्र अनुसार संविदाकार द्वारा या तो फार्म एम प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था या नियमानुसार मण्डल स्तर पर उसके बिल ये रॉयल्टी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार संविदाकार द्वारा न तो फार्म एम प्रस्तुत किया गया था और न ही उसके कार्य बिल से रॉयल्टी की कटौती की गई थी। जिसके फलस्वरूप ₹139214/– रॉयल्टी के रूप में कटौती न करके हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप सें हानि पहुंचाई गई थी। अतः संविदाकार द्वारा प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में फार्म एम न लिए जाने बारे और फार्म एम प्रस्तुत न करने की स्थिति में संविदाकार के कार्य बिल से प्रयोग किए गए पत्थरों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की कटौती न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ वर्तमान में संविदाकार से रॉयल्टी की कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	अनुबन्धित मद सं0	मद का विवरण	माप पुस्तिका/ पृ0सं0	मद की निष्पादित कार्य मात्रा	मद के निष्पादन में उपयोग की गर्द पत्थर की मात्रा (घन मी0)	उपयोग किए गए पर देय मात्रा (टनों में)	उपयोग किए गए पत्थरों देय रॉयल्टी प्रति टन	देय रॉयल्टी राशि में
1	19	RR Masonary cm 1:6:12 with hard stone in foundation and	820, P.No. 67	878.77 m3	1203.91m3 (878.77m3x1.37)	2793.07m3 (1203.91m3x2.32)	40	111722.80

		plinth retaining wall/breast wall i.e. all leads & lifts						
2	20	Stone filling behind Retaining walls	820, P.No. 67	269.31m3	296.24m3 (269.31m3x1.10)	687.28m3 (296.24 m3x2.32)	40	27491.20
					Total	**3480.35m3**		**139214**

(6) ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकार को ₹33869.00 का अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की मद संख्या 31 P/F 40x3mm Flat iron fast in CC 1:3:6 के सम्बन्ध में अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया था। होल्ड फास्ट को ईटो की दीवारों में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक (साईज 0.30mx0.10mx0.15m) बनाने का प्रावधान होता है तथा होल्ड फास्ट को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से मापन व भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में भुगतान किए गए ब्रिक वर्क की मद की जाँच करने पर पाया गया कि होल्ड फास्ट को लगाने के लिए दीवारों में बनाए गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से कम नहीं किया गया जबकि कार्य सपसीफिकेशन (ब्रिक वर्क) के अनुसार 0.10 वर्ग मीटर के क्षेत्र फल की ओपनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिक वर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक का कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया और होल्ड फास्ट के भुगतान में सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लॉक का भुगतान कर दिया गया। अतः होल्ड फास्ट में प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लॉक की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया। एक बार ब्रिक वर्क के भुगतान के समय व दूसरी बार होल्ड फास्ट के भुगतान के समय। इस प्रकार संविदाकार को ₹33869/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

No. Hold Fast Paid	Qty of Brick Work which was paid twice to the Contractor in m3	Rate of Brick Work per m3	Total Amount
1344	0.30x0.15x0.10x1344=6.048m3	5600	33868.80
Total			**33868.80**

(7) वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर0आर0 मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को ₹7380/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के चतुर्थ चलित बिल तक अनुबन्ध की मद संख्या 84 P/F 100 mm dia PVC pipe for weep holes in retaining wall की कार्य मात्रा 458.04 रनिंग मीटर का भुगतान 100 प्रति रनिंग मीटर की दर से माप पुस्तिका संख्या 820 पृष्ठ संख्या 70 पर किया गया था। अंकेक्षण में जाँच में पाया गया की अनुबन्ध की मद संख्या 19 RR Masonary के भुगतान के समय वीप होल्स में प्रयोग 100एमएम पी0वी0सी0 पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी।

मान्य निर्माण नियमों के अनुसार आर0आर0 मैसनरी के भुगतान के समय आर0आर0 मैसनरी की देय मात्रा में से वीप होल्स हेतु प्रयोग 10एमएम पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी क्योंकि वीप होल्स की लगाने के स्थान पर आर0आर0 मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। इस प्रकार आर0आर0 मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से 10एमएम पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा 3. 60 घन मी (22/7x0.05x458.04 RMT) की कटौती न करके संविदाकार को ₹2050/– प्रति घन मीटर की दर से ₹7380 (3.60 घन मीटर x ₹2050) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

(8) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹5040/– का अधिक भुगतानः–

अनुबन्ध की मद संख्या 21 P/F Wood Work in Frames के सम्बन्ध में अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि लकड़ी की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹5040/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैः–

	Record MB No.	**Calculation as recorded in MB**	**Claculation as per Audit**	**Difference**
Block No. 23	894 P.No. 31 For Door D1	16x2x2.14=68.48RMT	16x2x2.10=67.20Rmt	1.28Rmt
	Door D2	16x2x2.64=84.48 Rmt	16x2x2.60=83.20 Rmt	1.28Rmt
Block No. 23	894 P.No. 31 For Door D1	16x3x2x2.14=205.44 Rmt	16x3x2x2.10=201.60 Rmt	3.84 Rmt
	D3	16x3x2x2.14=205.44 Rmt	16x3x2x2.10=201.60 Rmt	3.84 Rmt
	D4	16x1x2x2.64=84.48 Rmt	16x1x2x2.60=83.20 Rmt	1.28Rmt
	Total			**11.52Rmt**

Excess quantity in Cub. 11.52 Rmtx0.10x0.0625=0.072m3

Excess payment to contractor=0.072m3x₹70000=5040

18 वर्ष के Trial Balance और सम्बन्धित Ledger Accounts में अन्तर बारेः–

लेखाँकन के मान्य नियमों के अनुसार Trial Balance में दर्शाये गए विभिन्न खातों का अन्तिम शेष लेखा खातों (Ledgers) के अन्तिम शेष के अनुसार होना चाहिए। निर्माण मण्डल के Trial Balance और सम्बन्धित Ledger Accounts का मिलान करने पर पाया गया कि निम्न लेखा शीषकों के अन्तर्गत दर्शाये गये खातों का अन्तिम शेष Trial Balance में दर्शाये गए अन्तिम शेष से मेल नहीं खाता था। जिससे यह ज्ञात होता है निर्माण मण्डल के इन दोनों लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत खातों में दर्शाई गई वित्तीय लेनदेन सही प्रकार से लेखाँकिंत नहीं किए गए थे। अतः लेखा खातों में सही प्रकार से वित्तीय लेनदेन न लेखाँकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह कि चूक से परिहार किया जाए।

HP State Civil Supply Corp. Ltd. Shimla, Ledger Page No. 422

Opening Balance as on 01.04.2013	934940.00 Cr.
Add Credit Transactions during the year 2013-14	5338820.00 Cr.
Less: Debit Transactions during the year 2013-14	5860676.00 Dr.
Closing Balance as per Leder Page no. 422	413084.00 Cr.

As per Trial Balance

Amount Shown in Debit Column	5322328.00 Dr.
Amount Shown in Credit Column	5225642.00 Cr.
Balance as per Trial Balance	96686.00Dr.

HP Agro Industries Page No. 424

Opening Balance as on 01.04.2013	0.00
Add Credit Transactions during the year 2013-14	113752.00 Dr.
Less: Debit Transactions during the year 2013-14	11377.00 Cr.
Closing Balance as per Leder Page no. 424	102375.00 Dr.

As per Trial Balance

Amount Shown in Debit Column	652100.00 Dr.
Amount Shown in Credit Column	124555.00 Cr.
Balance as per Trial Balance	527545.00 Dr.

19 संविदाकारों/ठेकेदारों की Security ₹1480019.00 की कालातीत हो चुकी राशि को जब्त न किया जाने के कारण निर्माण मण्डल को वित्तीय हानिः–

CPWD Works Mannual 2003 के नियम 21.7 के अनुसार "The claim for refund of security deposit is governed by the Limitation Act. The period of limitation is 3 years commencing from the date the right to due accures. In the case of security deposit paid along with the individual contract, the right to the due would accrue under Clause 17 after the maintenance period or payment of final bill whichever is later."

उपरोक्त नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को उसकी देय तिथि, एवं Clause 17 के अन्तर्गत रख रखाव हेतु निर्धारित अवधि या अन्तिम बिल की भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो के बाद क्लेम कर सकता है। परन्तु इस अवधि की समाप्ति के उपरान्तयदि कोई संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को क्लेम नहीं करता तो वह Security कालातीत मानी जायेबी, और नियमानुसार ऐसी सभी कालातीत Security की राशि को निर्माण मण्डल द्वारा जब्त करके अपनी विविध आय (Miscellaneous Income) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण मण्डल के पास ₹1480019.00 की राशि जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है दिनाँक 31.03.2014 तक संविदाकार/ठेकेदार की Security की ऐसी राशि थी जिनके विरूद्ध या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है और संविदाकार/ठेकेदार को उनका भुगतान नहीं किया गया था या ऐसी Security की राशि थी जो दिनाँक 31.03.2014 तक भुगतान नहीं की गई थी, और उनके विरूद्ध निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी निर्माण मण्डल के पास उपलब्ध नहीं थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 222/2014 दिनाँक 28.11.2014 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के बारे और Security की राशि का भुगतान होने बारे सूचना माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है इस मामले में पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त कालालतीत हो चुकी संविदाकार/ठेकेदार की Security की राशि को उपरोक्त नियम के अनुसारी जब्त किया जाए और निर्माण मण्डल की विविध आय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

20 Deputation Allowance के रूप में ₹22029/– का अनियमित भुगतानः–

HP Housing & Urban Development Authority, Nigam Vihar, shimla के पत्र संख्या HIUMDA 5-57/2003-Admn-Vol-IV dated 04.02.2013 द्वारा Shimla Division No. 11 में Divisional Accountant पद के लिए "On Secondment Basis" पर The Accountant General (A & E), HP Shimla से आवेदन आमन्त्रित किए गए थे। Divisonal Account Officer जोकि Secondment Basis पर AGHP Office से निर्माण मण्डल में तैनात हुये थे के मासिक वेतन की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि उनको Deputation Allowance के रूप में प्रतिमाह 5% of Basic Pay का भुगतान किया जा रहा है, इस प्रकार अवधि 08/2013 से 12/2014

तक उनको ₹22029.00 का भुगतान Deputation Allowance के रूप में किया गया था, विवरण निम्न दिया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 8–17/73. DP(AP-II)(-Pt. dated 20th June 2001 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिस कर्मचारी की नियुक्ति "On Secendment Basis" पर की जायेगी "The employee will come in their own pay scale and no deputation allowance will be allowed." अतः उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार Divisional Account Officer जोकि Secondment Basis पर AGHP Office से निर्माण मण्डल में तैनात हुये थे को Deputation Allowance का प्रति माह का भुगतान मान्य नहीं था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09/2015 दिनाँक 15.01. 2015 से इस Deputation Allowance की प्रति माह अदायगी बारे निर्देशों की जानकारी माँगी गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक प्रतिउत्तर निर्माण मण्डल अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुआ। अतः Divisional Account Officer को प्रति माह Deputation Allowance दिये जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ divisional Account Officer को Deputation Allowance के सम्बन्ध में वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से मामला उठाया जाए और इस सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश प्राप्त किए जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

माह	**Deputation Allowance की राशि जिसका प्रतिमाह भुगतान किया गया था**	**Remarks**
Aug-13	1262	
Sep-13	1262	
Oct-13	1262	
Nov-13	1262	
Dec-13	1262	
Jan-14	1262	
Feb-14	1262	
Mar-14	1262	
Apr-14	1262	
May-14	1262	
Jun-14	1414	Arrear w.e.f 01.03.14 to 30.06.14 (₹152+1262)

Jul-14	1300
Aug-14	1339
Sep-14	1339
Oct-14	1339
Nov-14	1339
Dec-14	1339
Total	**₹22029**

21 Bin Card No. 238 में अनियमित रूप से 100 बैग सीमेन्ट अधिक जारी दिखाये जाने बारेः—

शिमला उप मण्डल—III सीमेन्ट स्टॉक से सम्बन्धित के Bin Card No. 238 में दिनाँक 22.11.13 को Indent No. 2286 के लिए 200 बैग सीमेन्ट संविदाकार को जारी दिखाये गये थे। सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि Indent No. 2286 में संविदाकार द्वारा 100 बैग सीमेन्ट ही प्राप्त किए गए थे जिसकी पुष्टि संविदाकार के Ledger के पृष्ठ संख्या 009/02 से भी होती है। इस प्रकार Bin Card No. 238 और Indent No. 2286 में 100 बैग अन्तर का अन्तर है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10/2015 दिनाँक 15.01.2015 से Bin Card No. 238 में अनियमित रूप से 100 बैग अधिक जारी दिखाये जाने बारे आवश्यक जानकारी माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः Bin Card No. 238 में दिनाँक 22.11.2013 को 100 बैग सीमेन्ट अधिक जारी किए जाने को शीघ्र न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा 100 बैग सीमेन्ट जो Bin Card No. 238, दिनाँक 22.11.2013 में अधिक जारी किए दर्शाये गए है की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से Panel Rate से की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 **लघु आपत्ति विवरणिका :—** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

23 **निष्कर्ष :—** लेखाओं में रख रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)196/97—खण्ड—7—2365—67,दिनांक, 15.5.15 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :—

1 प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला—171002.

पंजीकृत :—3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल—2 शिमला—171009 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट–"क"

अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग–I पैरा 1 (ग) में वर्णित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2, शिमला–171009 के लेखो अवधि 4/1988 से 3/2013 तक के पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 25	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 22	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत
3	पैरा 25(1 से 4)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(3)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(1)	अनिर्णीत

9	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 20(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 25	अनिर्णीत
15	पैरा 27	अनिर्णीत
16	पैरा 28	अनिर्णीत
17	पैरा 29	अनिर्णीत
18	पैरा 31	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7	पैरा 17	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 19	अनिर्णीत
10	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 6(ग)(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अनिर्णीत
10	पैरा 17(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 15	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 18	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 22	अनिर्णीत
10	पैरा 24(क)	अनिर्णीत

11	पैरा 25	अनिर्णीत
12	पैरा 27	अनिर्णीत
13	पैरा 29	अनिर्णीत

(8) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010</u>

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत
3	पैरा 20	अनिर्णीत
4	पैरा 21	अनिर्णीत
5	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 23	अनिर्णीत
7	पैरा 25	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत

(9) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011</u>

1	पैरा 4.3	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त)
2	पैरा 10.3	अनिर्णीत	
3	पैरा 11	अनिर्णीत	
4	पैरा 13	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/D/II/S-1/2014-3968-69 Dt. 20.01.2015 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त)
5	पैरा 16	अनिर्णीत	
6	पैरा 18	अनिर्णीत	

(10) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012</u>

1	पैरा 4.4	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त)
2	पैरा 4.5	निर्णीत	(₹7462/– की वसूली रसीद संख्या 0117998

			दिनाँक 07.06.2013 से की गई थी)
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8 (i)	निर्णीत	(₹163244.00 की वसूली जनरल वाउचर संख्या 2 ऑफ 2012 से संविदाकार के अन्तिम चलित बिल से की गई थी)
5	पैरा 9	निर्णीत	(2mm Black Sheet को सम्बन्धित निर्माण कार्य में लगाने के सम्ब्न्ध में सम्बन्धित Executive Engineer द्वारा प्रमाण पत्र देने के उपरान्त)
6	पैरा 10.3	अनिर्णीत	
7	पैरा 11 (i)	निर्णीत	(₹14347/– की वसूली जनरल वाउचर संख्या 1 दिनाँक 31.01.2001 से की गई थी)
8	पैरा 12	अनिर्णीत	
9	पैरा 13	अनिर्णीत	
10	पैरा 14	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/D/11/5-1/2014-3968-69 Dt. 20.01.2015 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त)

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 4 (ख) (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4 (ख) (2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 5 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 5 (ख)	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त)
6	पैरा 6	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त)
7	पैरा 7	अनिर्णीत	

8	पैरा 8	अनिर्णीत	
9	पैरा 9	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त)
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त)
12	पैरा 12 (क)	निर्णीत	(Deviation approved vide Letter No. HIMUDA (DB) IT Deptt/2014-Vol-VI/58 Dt. 19.1.15)
13	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा 12 (घ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 12 (ङ)	निर्णीत	(Deviation approved vide Letter No. HIMUDA (DB) IT Deptt/2014-Vol-VI/58 Dt. 19.1.15)
17	पैरा 13 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा 13 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 13 (ग)	निर्णीत	(₹907/– की वसूली वाउचर संख्या 92 दिनाँक 22.04.2014 से की गई)
20	पैरा 13 (घ)	निर्णीत	(₹1471/– की वसूली वाउचर संख्या 92 दिनाँक 22.04.2014 से की गई)
21	पैरा 13 (ङ)	निर्णीत	(भवन सामग्री (Excess) की वसूली संविदाकार के 3rd, 4th 5th और अन्तिम चलितबिल से की गई थी वसूली का विवरण MB No. 858 P.No. 40, 79 Mb No. 856, P.No. 75 पर लेखाँकिंत किया गया था)
22	पैरा 14 (क)	निर्णीत	(₹891/– की वसूली रसीद संख्या 0155767 दिनाँक 19.04.2014 से की गई)
23	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत	
24	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा 16 (क)	अनिर्णीत	
26	पैरा 16 (ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा 17	अनिर्णीत	
28	पैरा 18 (क) (ख)	अनिर्णीत	

29	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा 19 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा 19 (घ)	अनिर्णीत
33	पैरा 19 (ङ)	अनिर्णीत
34	पैरा 20 (क)	अनिर्णीत
35	पैरा 20 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 20 (ग)	अनिर्णीत
37	पैरा 20 (घ)	अनिर्णीत
38	पैरा 20 (ङ)	अनिर्णीत

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 23(ङ)(1)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 10 (परिशिष्ट व)	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 9(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा 24(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 32(एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा 32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत
11	पैरा 36	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत
2	पैरा 12(ढ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 20(10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001

1	पैरा 21 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
2	पैरा 22 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
3	पैरा 78 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
4	पैरा 79 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
5	पैरा 80 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
6	पैरा 81 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत